**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर**

**<u>प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/7809/2008/जोधपुर</u>**

1– नरसिंहराम पुत्र फूसाराम माली निवासी चौखा तहसील व जिला जोधपुर
2– श्रीमती चन्दादेवी पुत्री फूसाराम माली पत्नि लूणाराम गहलोत निवासी रूपावतों का बेरा, जोधपुर
3– श्रीमती सुआदेवी पुत्री फूसाराम माली पत्नि बाबूलाल सांखला निवासी चौखा, तहसील व जिला जोधपुर
4– श्रीमती सोहनी देवी पुत्री फूसाराम माली पत्नि खींवराज निवासी रजासनी तहसील ओसियां जिला जोधपुर
5– श्रीमती गीतादेवी पुत्री फूसाराम माली पत्नि पोकरराम निवासी शिवकर, बाडमेर
6– श्रीमती नेनी पत्नि भंवरलाल निवासी चोखा तहसील व जिला जोधपुर
7– पुखराम पुत्र भंवरलाल निवासी चोखा, तहसील व जिला जोधपुर
8– श्रीमती प्रेमीदेवी पुत्री भंवरलाल पत्नि माणकराम निवासी बालखा तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
9– श्रीमती छोटादेवी पुत्री भंवरलाल पत्नि सुमेरजी निवासी बालखा तहसील ओसियां जिला जोधपुर
10–श्रीमती लीलादेवी पुत्री भंवरलाल पत्नि प्रेमाराम निवासी रामपुरा, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
11–श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री भंवरलाल पत्नि केसाराम निवासी चोखा तहसील व जिला जोधपुर
12–ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल माली निवासी चोखा, तहसील व जिला जोधपुर

**–अपीलार्थीगण/वादीगण**

**बनाम**

1– राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर जोधपुर
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर
3– मण्डल वन अधिकारी, वन विभाग, रसाला रोड, जोधपुर
4– क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज मण्डोर, जोधपुर

**– प्रत्यर्थीगण**

**<u>खण्ड पीठ</u>**
**श्री राम दयाल मीणा, सदस्य**
**श्री गणेश कुमार, सदस्य**

**उपस्थित**

श्री ओ.एल.दवे व श्री रमजान मौहम्मद, अधिवक्तागण अपीलार्थीगण
श्री हनुमान प्रसाद गुर्नाडिया, उपराजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स

**निर्णय**

**दिनांकः– 17.02.2022**

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–5–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष वादीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 92–ए, 188 के तहत ग्राम गेवा स्थित प्रश्नगत विवादित आराजी खसरा संख्या 867 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद का प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए वादीगण के वाद को खारिज करने का निवेदन किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित 7 विवाद्यक विरचित किए। तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने कायम किए गए समस्त विवाद्यकों को पृथक–पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 25–10–2007 पारित करते हुए वादीगण के वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री विरूद्ध अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील पेश किए जाने पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–5–2008 पारित करते हुए आलोच्य अपील को खारिज कर तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3– हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत कयास के आधार पर निर्णय पारित किए है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। उनका कहना है कि दस्तावेजी साक्ष्य से अपीलार्थीगण ने अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व से आराजी

पर अपना कब्जाकाश्त सिद्ध कराया है। आगे बताया कि मामले में विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 सीपीसी तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के विधिक प्रावधानों के विपरीत अपने निर्णय पारित किए है। आगे बताया कि दौरान वाद वादी फूसाराम का देहान्त हो जाने पर उनके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने मूल वाद की कार्यवाही में मृतक को ही पक्षकार बताते हुए निर्णय पारित कर भूल की है। उनका तर्क है कि वादी ने खसरा गिरदावरी पेश की है, जिसमें वादी की काश्त दर्ज है तथा बाद में जो गैरमुमकिन भूमि पहाड दर्ज है, वह दुरूस्ती योग्य है। उनका आगे तर्क है कि खसरा संख्या 867 की कुल भूमि 1749 बीघा 5 बिस्वा थी, उसमें से 1645 बीघा 15 बिस्वा भूमि वन विभाग को दी गई तथा शेष बची 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर वादीगण का कब्जाकश्त है अर्थात यह भूमि वन विभाग की नहीं है। उनका आगे तर्क है कि न्यायालय ने प्रश्नगत आराजी को वन विभाग की मानकर अवैधानिकता की है। उक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण ऐसे निर्णय के विरूद्ध पेश की गयी द्वितीय अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17-5-208 एवं सहायक जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25-10-2007 को निरस्त करते हुए अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा पेश किए गए वाद को मय खर्चे के स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

5- इसके विपरीत उपराजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण द्वारा पेश की गयी आलोच्य द्वितीय अपील का विरोध करते हुए मामले में दोनों न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधि सम्मत होना कहा है। उनका कहना है कि प्रश्नगत आराजी के संबंध में वादीगण के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर बेदखल किया जा चुका है। यहीं नहीं प्रश्नगत आराजी रेकार्ड में गैरमुमकिन पहाड दर्ज है तथा जिसकी किस्म भी गैरमुमकिन पहाड दर्ज है और नियमानुसार ऐसी भूमि के संबंध में किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है। आगे बताया कि प्रश्नगत आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की

धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल है। यहीं नहीं आराजी पहाड होने के कारण ऐसी भूमि कृषि कार्य के योग्य नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि सम्वत 2012 से प्रश्नगत आराजी पर अपने कब्जे को वादीगण ने दस्तावेज साक्ष्य साबित नहीं कराया है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को खारिज कर मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

6– हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7– प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का यह तर्क कि दौराने वाद वादी फौत हो गया था और उसके नाम पर निर्णय किया दिया, इसलिए उक्त निर्णय रिमाण्ड किये जाने योग्य है, पर अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड नहीं किया तर्क भारपूर्ण नहीं है। वादी पूसाराम दिनांक 1–1–2004 को फौत हुआ और दिनांक 11–4–2004 को विधिक वारिसान रिकार्ड पर लेने का आवेदन पेश हुआ और दिनांक 5–7–2004 को उक्त आवेदन स्वीकार हो गया। इसलिए विधिक वारिसान रिकार्ड पर आ चुके है केवल मात्र निर्णय के उनवान में नाम संयोजित नहीं होने मात्र से निर्णय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील वारिसान की ओर से ही पेश की गयी है और यह द्वितीय अपील भी उन्हीं वारिसान की और से पेश की गयी है इसलिए यह तकनीकी एवं लिपिकिय त्रुटि है, इसके आधार पर निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। इसलिए उक्त तर्क सारहीन है।

8– पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि सम्वत् 2012 को वादी काबिज रहा हो और उसके पास कोई खातेदारी के स्वामित्व का कोई दस्तावेज रहा हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत रूप से उक्त भूमि गैर मुमकिन पहाड के रूप में दर्ज है और जिसे कृषि योग्य भूमि नहीं माना जा सकता और ना ही उसकी किस्म परिवर्तित की जा सकती है। वादी के गवाह भंवरसिंह ने जिरह में यह

स्वीकार किया है कि यह सही है कि अब यह भूमि वन विभाग में चली गयी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत वन भूमि में खातेदारी अधिकारी नहीं दिये जा सकते। प्रथम तो वादी अपीलार्थी का प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं है एवं धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत उसे बेदखल किया गया है और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर गैर मुमकिन पहाड की किस्म में या अन्य भूमि पर किसी भी रूप में खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अतिक्रमी व्यक्ति राज्य सरकार के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद एवं अपील खारिज की गयी है, समवर्ती निष्कर्ष है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का आधार नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

9– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील संख्या–112/2007 बउनवानी फूसाराम के विधिक वारिसान व अन्य बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–5–2008 एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा वाद संख्या–76/2003 बउनवानी फूसाराम वगैराह बनाम सरकार वगैराह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–10–2007 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( गणेश कुमार )**
**सदस्य**

**(रामदयाल मीणा)**
**सदस्य**